रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003--05 REGISTERED No. DL(N)-04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 3—नवम्बर 9, 2007 (कार्तिक 12, 1929)

No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 3—NOVEMBER 9, 2007 (KARTIKA 12, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं 1041

भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 1089

भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं 3

भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं ... 1655

भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम ..... *

भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ ..... *

भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट ..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि) भी शामिल हैं *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय की छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *

भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों की छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *

भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश ..... *

भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 5643

भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस 729

भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं ..... *

भाग III—खण्ड-4—विधिक अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं 11455

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 681

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूरक ..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court 1041

PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court..... 1089

PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..... 3

PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence..... 1655

PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations..... *

PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi languages of Acts, Ordinances and Regulations ..... *

PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)..... *

PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..... *

PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..... *

PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India 5643

PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs..... 729

PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners..... *

PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies..... 11455

PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies 681

PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi..... *

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य.विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्तूबर 2007

संकल्प

सं. एफ. 5(1)-बी (पी.डी.)/2007--

आम जानकारी के लिए यह घोषित किया जाता है कि वर्ष 2007-2008 के दौरान सामान्य भविष्य निधि तथा उसी प्रकार की अन्य निधियों के अभिदाताओं की कुल जमा रकमों पर दिए जाने वाले ब्याज की दर 8% (आठ प्रतिशत) प्रतिवर्ष ही रहेगी। यह दर दिनांक 1.4.2007 से आरम्भ होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान लागू रहेगी। संबंधित निधियां निम्नलिखित हैं :-

1. सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) ।
2. अंशदायी भविष्य निधि (भारत) ।
3. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि।
4. राज्य रेलवे भविष्य निधि।
5. सामान्य भविष्य निधि (रक्षा सेवाएं)।
6. भारतीय आयुध विभाग भविष्य निधि।
7. भारतीय आयुध कारखाना कामगार भविष्य निधि।
8. भारतीय नौसेना गोदी कामगार भविष्य निधि।
9. रक्षा सेवा अधिकारी भविष्य निधि।
10. सशस्त्र सेना कार्मिक भविष्य निधि।
11. नई पेंशन प्रणाली (परिभाषित अंशदान पेंशन योजना)

2. आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

वि. शिवसुब्रमणियन्
निदेशक (बजट)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 अक्तूबर 2007

सं. एफ. 8-15/2007-टी.एस.-V--

संकल्प

विषयः- भारतीय प्रबंध संस्थान के कार्यकरण की समीक्षा हेतु एक समिति की नियुक्ति।

अहमदाबाद, कोलकाता, बंगलौर, लखनऊ, कोझीकोड, इंदौर में छः भारतीय प्रबंध संस्थान हैं और सातवां शिलांग में स्थापित किया गया है। भारतीय प्रबंध संस्थान उत्कृष्ट संस्थाएं हैं जिन्हें भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य उच्च गुणवत्ता वाली प्रबंध शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना, अनुसंधान संचालन और भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रबंध के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं प्रदान करना है। ये संस्थान स्वायत्त निकाय हैं जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं।

1. भारतीय प्रबंध संस्थान के संगम ज्ञापन की धारा V में उल्लेख है कि केन्द्र सरकार (राज्य सरकारों से परामर्श करके, अहमदाबाद, कोलकाता और बंगलौर स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान के संबंध में) किसी भी समय एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त कर सकती है जो कि सोसायटी अथवा संस्थानों के कार्य और प्रगति की समीक्षा करेंगे और इसके मामलों की जांच करेंगे। 1979 और 1991 में दो समीक्षा समितियां गठित की गई थीं। काफी समय से यह महसूस किया जा रहा है कि तीसरी भारतीय प्रबंध संस्थान समीक्षा समिति का गठन किया जाए जो पिछली समीक्षा के बाद हुई नई बातों की जांच करेगी। इसलिए भारत सरकार ने निम्नलिखित सदस्यों वाली समीक्षा समिति गठित करने का निर्णय लिया है:

1.	श्री आर0सी0 भार्गव पूर्व प्रबन्ध निदेशक मारुति उद्योग लिमिटेड	–	अध्यक्ष
2.	श्री अजीत बालाकृष्णन अध्यक्ष, शासी बोर्ड, भारतीय प्रबंध संस्थान, कोलकाता और अध्यक्ष, तथा सी.ई.ओ. rediff.com	–	सदस्य
3.	श्रीमती अनुसूया बासु डिप्टी. सी.ए.जी. (सेवानिवृत्त)	–	सदस्य
4.	श्री रवि माथुर संयुक्त सचिव (त.) मानव संसाधन विकास मंत्रालय	–	सदस्य सचिव

3. समीक्षा समिति के विचारार्थ विषय ये हैं:

i) प्रबंध शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्ट केन्द्रों के अपने लक्ष्यों को पूरा करने में भारतीय प्रबंध संस्थान के वर्तमान स्तर की समीक्षा।

ii) उनकी प्रासंगिकता और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के आलोक में भारतीय प्रबंध संस्थान में चलाए जा रहे वर्तमान पाठ्यक्रमों की समीक्षा।

iii) उनकी संगठनात्मक और प्रशासनिक संरचना की समीक्षा और देश की आर्थिक और सामाजिक विकास जरूरतों को बेहतर तरीके से पूरा करने के लिए उसमें समुचित परिवर्तन सुझाना।

iv) अगले दशक के दौरान भारतीय प्रबंध संस्थान की विस्तार योजनाओं की समीक्षा और विशेषकर XIवीं योजना के दौरान, ताकि वर्तमान क्षमताओं का इष्टतम उपयोग किया जा सके।

v) प्रत्येक संस्थान में अक्षय निधि की स्थिति की समीक्षा और निधि के बेहतर उपयोग के लिए व्यापक दिशा-निर्देश सुझाना।

vi) संस्थानों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रति छात्र लागत की समीक्षा और की छात्र शुल्क, सरकारी अनुदानों, ब्याज से आय और अक्षय निधि आदि से इस लागत की आनुपातिक वसूली हेतु दिशा निर्देश सुझाना।

vii) छात्रों को शैक्षिक ऋण आसानी से उपलब्ध कराने हेतु उपाय सुझाना और उनकी समीक्षा।

viii) छात्रों को छात्रवृत्तियां, फेलोशिप, फीशिप, और अन्य वित्तीय सहायताओं की उपलब्धता की समीक्षा।

ix) विभिन्न भारतीय प्रबंध संस्थानों में संकाय और गैर-संकाय कर्मचारियों हेतु लागू प्रोत्साहन स्कीमों की समीक्षा और उनमें समुचित संशोधन सुझाना।

x) भारतीय प्रबंध संस्थान के शासी बोर्ड के अध्यक्ष की शक्तियों और कार्यों के मुद्दे पर सिफारिशें देना।

xi) इन संस्थानों के समग्र, प्रभावी और समुचित कार्यकरण के प्रासंगिक किसी अन्य पहलू पर रिपोर्ट देना।

4. समिति संकल्प जारी होने के 6 महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तथापि, उपर्युक्त विचारार्थ विषय (x) (जो भारतीय प्रबंध संस्थान के शासी बोर्ड के अध्यक्ष की शक्तियों और कार्यों के मुद्दे से संबंधित है) पर समिति अपनी रिपोर्ट एक महीने के भीतर देगी।

5. समिति अपनी कार्य प्रणाली स्वयं तय करेगी।

6. समिति अपने कार्य के लिए विशेष व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकती है।

7. समिति अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की सेवाएं लेगी।

इसे इस संदर्भ में सभी पिछले संदर्भों को निरस्त करते हुए जारी किया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, विश्वविद्यालयों, संस्थाओं और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संगठनों आदि को सूचना हेतु प्रेषित की जाए।

रवि माथुर
संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-1, दिनांक 15 अक्तूबर 2007

सं. एफ. 9-37/2001-यू. 3--

चूंकि "नरसी मोंजी प्रबंध अध्ययन संस्थान" मुम्बई को इस मंत्रालय की दिनांक 13 जनवरी, 2003 की समसंख्यक अधिसूचना के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत सम-विश्वविद्यालय घोषित किया गया था बशर्ते कि कतिपय परिस्थितियां हों जिन्हें 3 वर्ष के पश्चात् समीक्षा में सम्मिलित किया गया है।

2. और चूंकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस उद्देश्य हेतु गठित विशेषज्ञ समिति के माध्यम से "नरसी मोंजी प्रबंध अध्ययन संस्थान" मुम्बई की कार्यप्रणाली की समीक्षा की है।

3. और चूंकि, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने "नरसी मोंजी प्रबंध अध्ययन संस्थान" मुम्बई को स्थायी आधार पर सम-विश्वविद्यालय का दर्जा जारी रखने की सिफारिश की है।

4. इसलिए अब केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विषय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर इस मंत्रालय के दिनांक 13 जनवरी, 2003 की समसंख्यक अधिसूचना की शर्तों पर एतद्द्वारा "नारसी मोंजी प्रबंध अध्ययन संस्थान" मुम्बई को उक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ सम-विश्वविद्यालय का दर्जा देने को जारी रखने का अनुमोदन देती है बशर्ते कि (i) वे समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानदण्डों और दिशा-निर्देशों का अनुपालन करेंगे जो कि संस्थानों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत सम-विश्वविद्यालय के रूप में घोषित संस्थाओं पर लागू हैं और (ii) वे अपने किसी प्रस्तावित ऑफ कैम्पस केन्द्रों में किसी भी छात्र को तब तक दाखिला नहीं देंगे जब तक कि मंत्रालय इन परिसरों को चलाने के लिए अपना औपचारिक अनुमोदन प्रदान नहीं कर देता है।

5. उक्त पैरा 4 में की गई घोषणा उन शर्तों पर लागू होगी जिनका उल्लेख इस अधिसूचना के संलग्नक की कम संख्या 4 में किया गया है।

सुनिल कुमार
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 17th October 2007

No. F.5(1)-B(PD)2007—

RESOLUTION

It is announced for general information that during the year 2007-2008, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall continue to carry interest at the rate of 8% (Eight per cent) per annum. This rate will be in force during the financial year beginning on 1.4.2007. The funds concerned are :-

1. The General Provident Fund (Central Services).
2. The Contributory Provident Fund (India).
3. The All India Services Provident Fund.
4. The State Railway Provident Fund.
5. The General Provident Fund (Defence Services).
6. The Indian Ordnance Department Provident Fund.
7. The Indian Ordnance Factories Workmen's Provident Fund.
8. The Indian Naval Dockyard Workmen's Provident Fund.
9. The Defence Services Officers Provident Fund.
10. The Armed Forces Personnel Provident Fund.
11. New Pension System (Defined Contribution Pension Scheme)

2. Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

V. SIVASUBRAMANIAN
Director (Budget)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 17th October 2007

No. 8-15/2007-TS.V—

RESOLUTION

Subject: **Appointment of a Committee to review the functioning of Indian Institutes of Management**

There are six Indian Institutes of Management (IIMs) located at Ahmedabad, Kolkata, Bangalore, Lucknow, Kozhikode, Indore and the seventh one is being set up at Shillong. IIMs are Institutions of excellence, established by the Government of India with the objective of imparting high quality management education and training, conducting research and providing consultancy services in the field of management to various sectors of the Indian economy. These Institutes are autonomous bodies registered under the Societies Registration Act.

2. Clause V of the Memorandum of Association of the IIMs provide that the Central Government (in consultation with the State Governments, in case of IIMs at Ahmedabad, Kolkata and Bangalore) may at any time appoint one or more persons

to review the work and progress of the Society or the Institutes and to hold an enquiry into its affairs. In the past, two Review Committees were constituted in 1979 and 1991. A need has been felt for quite some time to constitute the third IIM Review Committee in view of many new developments that have taken place since the last Review. The Government of India has, therefore, decided to set up a Review Committee with the following membership:-

1.	Shri R.C. Bhargava, former MD, Maruti Udyog Limited.	- Chairman
2.	Shri Ajit Balakrishnan, Chairman, BOG, IIM Calcutta and Chairman and CEO rediff.com.	- Member
3.	Mrs. Anusuya Basu, Dy. CAG (Retd.)	- Member
4.	Shri Ravi Mathur, Joint Secretary (Technical), Department of Higher Education, Ministry of Human Resource Development.	-Member-Secretary

3. The Terms of Reference for the Review Committee are as follows:-

(i) To review the present status of IIMs in fulfillment of their objective as centers of excellence in management education and research.

(ii) To review the existing courses being offered in IIMs in the light of their relevance and national priorities.

(iii) To review their organizational and administrative structure and to suggest suitable changes therein with a view to serve better the country's economic and social development needs.

(iv) To review expansion plans of the IIMs during the next decade, and particularly during the XIth Plan, with a view to optimal utilization of the existing capacities.

(v) To review the position of the corpus fund in each Institute and to suggest broad guidelines for better utilization of this fund.

(vi) To review the per student cost on various courses being offered by the institutes and to suggest guidelines for proportionate recovery of this cost from student fees, government grants, interest income from corpus fund etc.

(vii) To review and suggest measures for easy availability of educational loans to students.

(viii) To review availability of scholarships, fellowships, freeships and other forms of financial assistance to the students.

(ix) To review the incentive schemes prevailing in various IIMs for faculty and non faculty staff and to suggest suitable modifications therein.

(x) To give recommendations on the issue of powers and functions of Chairman, Board of Governors of IIMs.

(xi) To report on any other aspects that are relevant to overall effective and efficient functioning of these institutes.

4. The Committee will submit its report within six months from the date of issue of this Resolution. However, on the term of reference at (x) above (related to the issue of powers and functions of Chairman, Board of Governors of IIMs), the Committee will submit its report within one month.

5. The Committee will devise its own procedure of work.

6. The Committee can call Special Invitees as may be required for its work.

7. The Committee will be serviced by the All India Council of Technical Education (AICTE).

This issues in supercession of all earlier references in this regard.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Also ordered that a copy of the Resolution be forwarded to all the Ministeries/Departments of the Government of India, all the State Governments/Union Territories' Administration, Universities, Institutions and Organizations of the Ministry of Human Resource Development etc. for information.

RAVI MATHUR
Joint Secy.

New Delhi-1, the 15th October 2007

No. F. 9/37/2001-U. 3.—Whereas "Narsee Monjee Institute of Management Studies (NMIMS), Mumbai was declared deemed to be a university under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 vide this Ministry's notification of even number dated the 13th January, 2003 subject to certain conditions that included a review after three years;

2. And whereas. the UGC has reviewed the functioning of the "NMIMS", Mumbai through an Expert Committee constituted for this purpose;

3. And, whereas, on the basis of the report of the Expert Committee, the UGC have recommended continuation of the status of "Deemed-to-be-University' to "NMIMS", Mumbai, on a permanent basis;

4 Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, and on the advice of the UGC in the matter, do hereby accord approval to the continuance of "Narsee Monjee Institute of Management Studies (NMIMS)", Mumbai, as a deemed-to-be-university for the purpose of the aforesaid Act, strictly in terms of this Ministry's notification of even number dated the 13th January, 2003 subject to the conditions that (i) they will adhere to the norms and guidelines prescribed by the UGC and the All India Council for Technical Education (AICTE), from time to time, as are applicable to the institutions declared as deemed-to-be-universities under Section 3 of the UGC Act, 1956 and that (ii) they shall not make any admission at any of their proposed off-campus certres until formal approval of this Ministry is granted for the operation of these campuses.

5. The declaration made in para 4 above shall be subject to further conditions that are mentioned as Sl. No. 4 of the endorsement of this notification.

SUNIL KUMAR
Joint Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2007
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2007